न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 61/2018 (राजसमन्द डिकी)

श्रीमती झमकू बाई पुत्री वरदा जी बलाई, निवासी वीरवास हाल साकरोदा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती मानी बाई पत्नी देवा जी बलाई, निवासी वीरवास हाल भोलीखेड़ा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
2. श्रीमती चन्दरी बाई पुत्री देवा जी बलाई, निवासी वीरवास हाल भोलीखेड़ा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
3. श्रीमती अणछी बाई पत्नी भंवर जी बलाई, निवासी वीरवास, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
4. शान्तिलाल पुत्र भंवर भंवर जी बलाई, निवासी वीरवास, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
5. श्रीमती सीता पुत्री भंवर जी बलाई नाबालिग जरिये संरक्षक माता श्रीमती अणछी बाई पत्नी भंवर जी बलाई, निवासी वीरवास, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
6. बाबूलाल पिता भंवर जी बलाई, निवासी वीरवास, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
7. श्यामलाल पिता भूरा जी बलाई, निवासी साकरोदा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
8. ओगूलाल पिता भूरा जी बलाई, निवासी साकरोदा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
9. श्रीमती भागू पिता भूरा जी बलाई, निवासी साकरोदा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
10. श्रीमती गीता पिता भूरा जी बलाई, निवासी साकरोदा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

11. छोगा पिता चतरा जी बलाई, निवासी वीरवास, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

12. सोहन पिता चतरा जी बलाई, निवासी वीरवास, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

13. श्रीमती मोहनी पत्नी जी बलाई, निवासी वीरवास, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0—1955 विरूद्ध निर्णय
व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, आमेट
दिनांक 29.09.2010, प्र. सं. 80/10

———:::———

उपस्थित(वक्तबहस) 1. श्री प्रमोद लक्षकार अभिभाशक अपीलान्ट
2. श्री सी. एस. आचार्य अभिभाषक रे. सं. 1
3. श्री पैरोकार सरकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 14

———:::———

निर्णय दिनांक

25—07—2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद घोषणा, विभाजन, इन्द्राज दुरस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम वीरवास में वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित कुल किता 16 रकबा 2.8200 हैक्टर भूमियां स्थित हैं। पक्षकारान का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार होकर मूलपुरूष नंगजीराम के बाद जमीन वरदा के नाम आयी, जिनके 5 पुत्र पुत्रियां हुई, जिनमें से 4 की मृत्यु हो चुकी है तथा वर्तमान में उनकी एक मात्र पुत्री झमकू जीवित है तथा एक पुत्री सोहनी बाई का देहान्त हो चुका है, जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 7 से 10 हैं।

वरदा के एक पुत्र देवा की भी मृत्यु हो चुकी है, जिसके विधिक वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 6 हैं तथा एक पुत्र चतरा के वारिस प्रतिवादी संख्या 11 से 13 हैं। वरदा की मृत्यु के बाद भूमियां उनके तीन पुत्र देवा, चतरा व पन्ना के नाम आयी, पुत्रियां झमकू व सोहनी बाई का नाम दर्ज नहीं हुआ तथा बाद में पन्ना भी लाऔलाद फात होने से उनके हिस्से की भूमियां भी चतरा व देवा के नाम आ गयी, जबकि उक्त भूमियों में वरदा जी के पॉचों वारिसों का 1/5, 1/5 हिस्सा था तथा पन्ना के लाऔलाद फोत होने से उसकी भूमियां भी अपने भाई–बहनों में निहित होने से चतरा व देवा तथा झमकू व साहनी प्रत्येक का 1/4, 1/4 हिस्सा होकर इसी अनुसार उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं। अतः उपरोक्तानुसार विभाजन किया जाकर वादिया को 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से वादिया के वकील की एकपक्षीय बहस सुनकर वादिया का वाद साबित नहीं होना मानकर अपने निर्णय दिनांक 29–09–2010 से खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादिया द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 29–11–2010 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री सी. एस. आचार्य उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 14 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि अधिनस्थ न्यायालय ने वादिया का वाद साबित नहीं होना मानकर खारिज किया है, जबकि प्रतिवादीगण की ओर से खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है, न ही कोई जवाब पेश किया गया है, जिससे अपीलान्ट/वादी के वाद का खण्डन नहीं हुआ है। फिर भी अधिनस्थ

न्यायालय ने वाद साबित नहीं होना मानकर खारिज कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार होना बताया तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय से सजरे को साबित नहीं माना है, जबकि खण्डन में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने यह भी माना है कि वादिया ससुराल में रहती है तथा उसकी दूसरी बहनों ने पिता की सम्पत्ति में कोई हक नहीं मांगा है, मात्र वादिया ने यह दावा प्रस्तुत किया ह। अधिनस्थ न्यायालय का उपरोक्त विवेचन प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 29–09–2010 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में विधिवत साक्ष्यों का विवेचन कर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 27–09–2019 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 25–07–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(आ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰.....मुकाम..... उदयपुर.....

व इजलास ..... प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰ ....

सुरेन्द्रसिंह पिता प्रेमसिंह राठौड़, नि0 बेमला, तह0 गिर्वा हाल मकान नं.37 नाकोड़ा नगर 11, धाऊजी की बाड़ी बेड़वास, तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर

बनाम

दलपतसिंह पिता मनोहरसिंह देवड़ा निवासी सिंगावतों का वाडा, देबारी तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य

अपील नं॰.....47 / 2018.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी.....

.....आमेट..... मुकाम.....मुवर्खे.....18.....माह.....07..... 2016

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....13....माह.....03.....सन् 2019 रूबरू..... पक्षकारान

व हाजरी..श्री ओंकारलाल डांगी..मिनजानिब अपीलान्ट व..श्री महेन्द्र मेनारिया/राजमल राव

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 18–07–2016 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये .... X..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....13.....माह.....03... .....2019 को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .. .. 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा . .... 4. मेहनताना वकील..... ..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।